

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

संख्या-03/बजट-01-17/2026/...../आ0प्र0

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

पटना-23, दिनांक-

विषय:-वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष-2245-02-101-0002-खाद्यान्न की आपूर्ति में रु० 50.00 लाख एवं व्यय शीर्ष-2245-02-112-0002-जनसंख्या का निष्क्रमण में रु० 30.00 लाख एवं व्यय शीर्ष-2245-02-118-0001-क्षतिग्रस्त नावों की मरम्मत/नये नावों का निर्माण के अंतर्गत रु० 10.00 लाख अर्थात् कुल रु० 90.00 लाख (नब्बे लाख रुपये) आवंटन की स्वीकृति।

आदेश:-स्वीकृत।

2. इस राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष-02-बाढ़, चक्रवात आदि, लघु शीर्ष-101-आनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष-0002-खाद्यान्न की आपूर्ति तथा लघुशीर्ष-112-जनसंख्या का निष्क्रमण, उपशीर्ष-0002-जनसंख्या का निष्क्रमण तथा लघुशीर्ष-118-मछली पकड़ने के लिए खराब किशितियों तथा उपकरण की मरम्मत/प्रतिस्थापना के लिए सहायता, उपशीर्ष-0001-क्षतिग्रस्त नावों की मरम्मत/नये नावों का निर्माण, मांग संख्या-39, विपत्र कोड-39-2245021010002, 39-2245021120002 एवं 39-2245021180001 के अंतर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. पूर्व/वर्तमान आवंटित राशि की विवरणी निम्न प्रकार है :-

(राशि लाख रुपये में)

क्र०	जिला	2245-02-101-0002-खाद्यान्न की आपूर्ति, विषय शीर्ष-21 03-आहार/पथ्य (बाढ़ के मददेनजर)		2245-02-112-0002-जनसंख्या का निष्क्रमण, विषय शीर्ष-35 01-नगद/वसतु (बाढ़ के मददेनजर)		2245-02-118-0001-क्षतिग्रस्त नावों की मरम्मत/नये नावों का निर्माण, विषय शीर्ष-21 01-सामग्री एवं पूर्तियाँ (बाढ़ के मददेनजर)		आवंटन का कुल योग	
		पूर्व आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	पूर्व आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	पूर्व आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	पूर्व आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि
1	सुपौल	20.00	50.00	30.00	30.00	0.75	0.00	50.75	80.00
2	वैशाली	30.00	0.00	40.00	0.00	0.75	10.00	70.75	10.00
	कुल	50.00	50.00	70.00	30.00	1.50	10.00	121.50	90.00

4. उक्त आवंटित राशि से जिला पदाधिकारी, सुपौल के पत्रांक-827-2 दिनांक-24.06.2026 एवं वैशाली के पत्रांक-828 दिनांक-16.06.2026 द्वारा की गई अधियाचना के आलोक में बाढ़ से निपटने हेतु व्यय किया जाएगा।

5. आवंटित की गई राशि की निकासी Fully Vouched Bill के माध्यम से की जाएगी।

6. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक-2561वि0 (2) दिनांक-17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

le

7. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार राज्यपाल के आदेश से

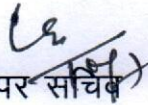
ह0 / -

(मो० नदीमुल गफ्फार सिद्दीकी)
अपर सचिव

ज्ञापांक-03 / बजट-01-17 / 2026 / 93..... / आ0प्र0, पटना-23 दिनांक-10-07-26

प्रतिलिपि-

1. वित्त विभाग, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
2. संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
3. संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
4. जिला पदाधिकारी, सुपौल एवं वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग के वरीय प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
7. आई0टी0 मैनेजर/प्रोग्रामर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार को विभागीय Web Site पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
8. श्री अमन कुमार, प्रोग्रामर, राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अपर सचिव